न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 167 / 2024

अनवान : –

1. कल्याण सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. राय सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. भंवरसिंह पुत्र चानणसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. प्रेम कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. कांता देवी पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 15/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 396 / 194 की कुल 16.1620 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 560 / 568 की कुल 15.1120 हैक्ट भूमि में से 441 / 37780 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 396 / 194 की कुल 16.1620 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि में वादीगण बहिब काबिज है एवं भूकरका के खाता संख्या 560 / 568 की कुल 15.1120 हैक्ट भूमि में से 441 / 37780 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दिया जावे लेकिन वह आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा भूकरका खाता संख्या 396/194, खाता सं0 560/568, जमाबंदी रोही मौजा भूकरका सम्वत 2029 ता 38, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीगण के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 396/194 की कुल 16.1620 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 560/568 की कुल 15.1120 हैक्ट भूमि में से 441/37780 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना [illegible] है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के [illegible] कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 396/194 की कुल 16.1620 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषत किये जाते है तथा भूकरका के खाता संख्या 560/568 की कुल 15.1120 हैक्ट भूमि में से 441/37780 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:43 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 167 / 2024

अनवान : –

1. कल्याण सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. राय सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. भंवरसिंह पुत्र चानणसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. प्रेम कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. कांता देवी पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 167 सन 2024 निर्णय दिनांक – 15/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 396 / 194 की कुल 16.1620 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषत किये जाते है तथा भूकरका के खाता संख्या 560 / 568 की कुल 15.1120 हैक्ट भूमि में से 441 / 37780 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:43 IST
Reason: SelfAttested